न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2008/48 दायर दिनांक 20.03.2008

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. लिछमा पत्नी स्व0 रामपाल, 2. बाबूलाल पुत्र स्व0 रामपाल, 3. तिलोकाराम पुत्र स्व0 रामपाल, 4. रेवन्तराम पुत्र स्व0 रामपाल, समस्त,जाति–बावरी, निवासी–जैवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हालनिवासी–गोपालपुरा, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू, राजस्थान।	बनाम्	1. मोतीराम पुत्र पोकरराम, जाति–बावरी, 2. कानी पत्नी नाथू, जाति–बावरी, 3. नारायणराम पुत्र कानाराम, जाति–गुर्जर, 4. चेनाराम पुत्र सिंजाराराम, जाति–गुर्जर, 5. मुकनाराम पुत्र सुखाराम, जाति–गुर्जर, 6. मांगीलाल पुत्र किशनाराम, 7. मंगतू पुत्र हड़मान, 8. पूरणा पुत्र कुशाल, 9. छोटू पुत्र केसा, 10. गोपाल पुत्र केसा, 11. बृजलाल पुत्र धन्नाराम, समस्त,निवासी–सिंगरावट कलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 12. भूरी पत्नी पीथाराम, जाति–बावरी, निवासी–जेवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. कुम्भाराम पुत्र माधु, जाति–बावरी, 14. आसूराम पुत्र माधु, जाति–बावरी, 15. गीगाराम पुत्र माधु, जाति–बावरी, 16. हीरा पुत्र रूपा, जाति–बावरी, 17. डालू पुत्र रूपा, जाति–बावरी, 18. रामदीन पुत्र रूपा, जाति–बावरी, 19. शंकर पुत्र रूपा, जाति–बावरी, 20. रामेश्वर पुत्र रूपा, जाति–बावरी, 21. झूमली पत्नी रूपा, जाति–बावरी,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2008/48
दायर दिनांक 20.03.2008, निर्णय दिनांक 07.07.2017
लिछमा, वगैरा बनाम् मोतीराम, वगैरा।

		समस्त,निवासी–जेवलियाबास, जाति–बावरी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 22. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थित–

1. पक्षकारान् उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 07.07.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही वंश के हैं।

वर्तमान खेत खसरा नम्बर 272, 273 व 274 रकबा क्रमशः 29.05, 24.02 व 52.13 बीघा कुल रकबा 106 बीघा जिसके साबिक खसरा नम्बर 194 रकबा 106 बीघा थे। वाकै शरहद मौजा ग्राम जैवलियाबास तहसील डीडवाना है जो कि वक्त सैटलमेन्ट के चतरा वल्द कालू व पीथा वल्द मुकना कौम बावरी सा. देह खातेदार की खातेदारी में दर्ज भूमि थी। नकल खतौनी संवत् 2015 से 2018 तक की दावा के साथ पेश है जिसकी खसरा मिलान क्षेत्रफल वाद के साथ संलग्न है।

इसी प्रकार वर्तमान खेत खसरा नम्बर 62 रकबा 20 बीघा, खसरा नम्बर 61 रकबा 05 बिस्वा गैर मुमकिन बेरा और खसरा नम्बर 123 रकबा 27.18 बीघा कुल रकबा 48.03 बीघा ग्राम जैवलियाबास में अवस्थित है। नकल खतौनी संवत् 2022 से 2025 तक की दावा के साथ पेश है। वंशावली अनुसार कालू की तीसरी सन्तान घींसा का नाम खातेदारी में नहीं आने से खसरा नम्बर 273 की भूमि चतरा वगैरा के नाम सम्वत् 2017 से दर्ज रही और घींसा के फौत होने के बाद उसके पुत्र पोकरमल वल्द घींसू के 11 साल की गिरदावरी पोकरमल के नाम रही। पोकरमल के फौत होने के बाद खसरा नम्बर 273 रकबा 24.02 बीघा सम्पूर्ण पर मोतीराम की खातेदारी दर्ज हो गयी जो कि गलत दर्ज हुई, क्योंकि घींसा के बड़े पुत्र का नाम पोकर, दूसरी सन्तान रामपाल तथा तीसरी नाथू हुई है जो वंशावली में वर्णित है। इस खसरा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 मोतीराम अकेले के नाम से विना किसी हक अधिकार के दर्ज हो गयी जो कि काबिल इखराज है। वादीगण के हिस्से की भूमि की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से खातेदारी दर्ज हो जाने से वादीगण के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है जिससे वादीगण को यह दावा घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरस्ती के करना लाजमी आया है।

उपर्युक्त खसरा नम्बर की भूमि यद्यपि वक्त सैटलमेन्ट के चतरा वल्द कालू व पीथा वल्द मुकना की खातेदारी में दर्ज थी मगर यह खेत चतरा वल्द कालू, मुकना पुत्र कालू, घींसा वल्द कालू व मोटा वल्द कालू के कब्जाकाश्त में रहा है क्योंकि यह सब एक ही पिता की औलाद थे। मोटा कुँवारा फौत हो गया जिन्होंने पीथा के पुत्र खांगाराम को गोद ले लिया और उसकी भूमि पर वर्तमान भूरी पत्नी पीथा का कब्जाकाश्त है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2008/48
दायर दिनांक 20.03.2008, निर्णय दिनांक 07.07.2017
लिछमा, वगैरा बनाम् मोतीराम, वगैरा।

इसी प्रकार चतरा के फौत हो जाने पर उसके वारिसान् का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। पक्षकारों के बीच मौखिक बन्टवारा हो चुका है उसी बन्टवारे के अनुसार अपने–अपने हिस्सों पर उनका कब्जाकाश्त है, जो अग्रप्रकार है:–

वादीगण का हिस्सा–

खसरा नम्बर 273 रकबा 24.02 बीघा में से उतरादा भाग अर्थात् रकबा 08 बीघा 1/2 बिस्वा, खसरा नम्बर 62 रकबा 20 बीघा के 1/4 हिस्से में से तीसरा भाग तथा खसरा नम्बर 61 रकबा 05 बिस्वा के 1/4 हिस्से में से तीसरा भाग व खसरा नम्बर 123 रकबा 27.18 बीघा के 1/2 हिस्से में से तहीसरा हिस्सा।

प्रतिवादी मोतीराम का हिस्सा–

खसरा नम्बर 273 रकबा 24.02 बीघा में से दक्षिणी भाग अर्थात् 08 बीघा 1/2 बिस्वा, खसरा नम्बर 62 रकबा 20 बीघा के 1/4 हिस्से में से तीसरा भाग, खसरा नम्बर 61 रकबा 05 बिस्वा के 1/4 हिस्से में से तीसरा भाग व खसरा नम्बर 123 रकबा 27.18 बीघा के 1/2 में से तीसरा हिस्सा।

प्रतिवादी संख्या 02 कानी पत्नी नाथू का हिस्सा–

खसरा नम्बर 273 रकबा 24.02 बीघा में से डिकावा जाने वाले रास्ते पर 08.01 बीघा, खसरा नम्बर 62 रकबा 20 बीघा के 1/4 हिस्से में से तीसरा भाग, खसरा नम्बर 61 रकबा 05 बिस्वा के 1/4 हिस्से में से तीसरा भाग व खसरा नम्बर 123 रकबा 27.18 बीघा के 1/2 में से तीसरा हिस्सा।

प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 21 तक वाद वर्णित खसरान् में सहखातेदार होने के कारण दावे में पक्षकार बनाया गया है। दावा में उक्त प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 21 तक खातेदार से किसी तरह की रिलीफ नहीं चाही गयी है और न ही इनसे कोई बन्टवारा चाहा गया है।

वादीगण भोले–भाले व अनपढ व्यक्ति हैं और प्रतिवादी संख्या 01 बेहद चालाक किस्म का व शातिर दिमाक का व्यक्ति है। प्रतिवादी संख्या 02 कानी पत्नी नाथू अपने पति नाथू के स्वर्गवास के बाद अपने पीहर गोपालपुरा में आकर रहने लग गयी। नाथू बीमार रहने से ग्राम जैवलियाबास में उसकी मृत्यु हो गयी। नाथू व उसकी पत्नी का उक्त भूमि पर दो तीन साल कब्जाकाश्त रहा, तत्पश्चात् अपने पति के मरने के बाद अपने माता–पिता के पास गोपालपुरा रहने लग गयी। इसी बीच रामपाल भी बीमार रहता था। वह अनपढ भोल भाला व्यक्ति था अत्यधिक बीमार रहने के कारण घर की माली हालत बहुत खराब हो गयी। बीमारी की वजह से ग्राम जैवलियाबास की पारी बाई से ईलाज खर्च वास्ते रूपये उधार लिये। इस बात का जब प्रतिवादी संख्या 01 को पता चला तो पारी बाई से साँठ–गाँठ कर रामपाल के हिस्से की भूमि को अपने नाम करवाने की भागदौड़ करने लगा। इस बात का इल्म घर वालों को नहीं था। बीमार पति को लेकर वादीया लिछमा अपने पीहर गयी तो वहाँ प्रतिवादी संख्या 01 आया और रामपाल को कहा कि तुझे ईलाज खर्च हेतु और रूपये चाहिए तो वह दिला देगा। ऐसा कहकर रामपाल को अपने साथ डीडवाना ले आया और तहसील में 100 रूपये के स्टाम्प पर हक तर्कनामा लिखवा लिया जिसकी जानकारी रामपाल के घरवालों को नहीं हुई। दिनांक 31.01.2008 को खतौनी की नकल निकलवाने पर वादीगण को पता चला कि उनके हिस्से की सम्पूर्ण भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी दर्ज

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व वाद, संख्या 2008 / 48
दायर दिनांक 20.03.2008, निर्णय दिनांक 07.07.2017
लिछमा, वगैरा बनाम मोतीराम, वगैरा।

करवा रखी है, जो कि गलत है। इसलिए वादीगण यह दावा घोषणा खातेदारी करने पर विवश हुआ।

वाद वर्णित खसरान् की भूमि में वादीगण का हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाना आवश्यक है क्योंकि वादीगण ग्राम जैवलियाबास में रहते हैं और प्रतिवादी संख्या 01 की नीयत में खोट आ जाने से सम्पूर्ण भूमि पर रहननामा लिखवाकर वादीगण को बेदखल कर देना चाहते है, ऐसा करने का उनको कोई अधिकार नहीं है।

वाद हेतुक प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 21 तक द्वारा पैतृक जायदाद में उनका हिस्सा वाद वर्णित को दिनांक 20.01.2008 को इन्कार होने तथा हल्का पटवारी से दिनांक 28.02.2008 को नकल प्राप्त करने पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा हिस्से में आई खेत को रहन रख देने की धमकी देने से ग्राम जैवलियाबास पैदा हुआ तथा निरन्तर पैदा होता जा रहा है।

प्रार्थना वादीगण है कि–

शरहद जैवलियाबास में वाद वर्णित कृषि भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा कर वादीगण के हिस्से की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे। वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 03, 08, 10, 12, 13 व 22 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

जवाबदावा पेश हुआ। प्रकरण में निम्न तनकियात् कायम की गयी:–

1. आया वादीगण शरहद जैवलियाबास में स्थित कृषि भूमि पैरा संख्या 03 में वर्णित भूमि को वादीगण के हिस्से में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने के अधिकारी हैं तथा इसका बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा करवाने एवं तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है?

–वादीगण

2. आया वादपत्र के पद संख्या 11 (ख) में वर्णितानुसार भूमि का प्रतिवादी संख्या 01 दावे के दौरान रहननामा या बैचाण कर दे तो उसे निरस्त कराकर वादीगण के नाम खातेदारी घोषित कराने के वादीगण अधिकारी है?

–वादीगण

3. आया वादीगण, प्रतिवादीगण को वादपत्र में वर्णितानुसार स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है?

–वादीगण

4. आया वादीगण ने वंशावली गलत पेश की है?

–प्रतिवादीगण

5. आया वाद में मिसजॉइन्डर ऑफ पार्टीज का दोष होने के कारण वाद खारिज योग्य है?

–प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

6. आया वादीगण का वाद मयाद बाहर होने के कारण खारिज योग्य है?
–प्रतिवादीगण

7. आया धारा 80 सी.पी.सी. के नोटिस के अभाव में वादीगण को वाद खारिज योग्य है?
–प्रतिवादीगण

8. आया वादीगण का वाद गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज योग्य है?
–प्रतिवादीगण

9. अनुतोष?

साक्ष्य वादी में PW–01 कानी पत्नी स्व0 नाथू का शपथ–पत्र, PW–02 वादी बाबूलाल का शपथ–पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश हुआ तथा PW–03 सुगनाराम पिता खांगाराम उम्र–47साल, जाति–बावरी निवासी–जैवलियाबास का लिखित बयान व PW–04 लिछमा पत्नी रामपाल का बयान पेश हुआ।

वाद के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–01 जमाबन्दी सम्वत् 2015 से 2018 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–02 जमाबन्दी सम्वत् 1971 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–03 खसरा पत्रक सम्वत् 2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–04 जमाबन्दी सम्वत् 2022 से 2025 तक खेवट संख्या 96 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–05 जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 तक खेवट संख्या 99 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–06 जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 तक खेवट संख्या 18 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–07 जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 तक खेवट संख्या 23 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–08 जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 तक खेवट संख्या 90 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–09 घींसाराम की मृत्यु दिनांक 14.07.1982 का अनुज्ञा–पत्र की छाया प्रतिलिपि, प्रदर्श–10 रामपाल बावरी की मृत्यु दिनांक 10.02.1999 की मृत्यु प्रमाण–पत्र की छाया प्रतिलिपि, प्रदर्श–11 तर्कनामा हक खातेदारी दिनांक 16.06.1998 की छाया प्रतिलिपि, प्रदर्श–12 नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प दिनांक 15.02.2008 व प्रदर्श–13 विक्रय पत्र दिनांक 09.06.1983 की छाया प्रतिलिपि, न्यायालय पेश हुए।

राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रिकॉर्ड का अवलोकन किया। वादीगण के पिता व पति के द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेज अनुसार हकतर्क व बैचाण किया जा चुका है। मौका रिपॉर्ट अनुसार कब्जा प्रतिवादी मोतीराम का है। पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से दावा खारिज किया जाने योग्य प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 2008 / 48
दायर दिनांक 20.03.2008, निर्णय दिनांक 07.07.2017
लिछमा, वगैरा बनाम् मोतीराम, वगैरा।

आदेश

शरहद जैवलियाबास का हस्ब दावा में पंजीकृत दस्तावेज एवं हकतर्कनामा को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत दावा खारिज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बरांगना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **07.07.2017** को कोर्ट कैम्प–बरांगना में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बरांगना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2008/48

दायर दिनांक 20.03.2008

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. लिछमा पत्नी स्व0 रामपाल, जाति–बावरी, निवासी–जैवलियाबास, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, हालनिवासी–गोपालपुरा, तहसील–सुजानगढ, जिला–चूरू, राजस्थान, वगैरा।	बनाम्	1. मोतीराम पुत्र पोकरराम, जाति–बावरी, निवासी–सिंगरावट कलाँ, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक 07.07.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि शरहद जैवलियाबास का हस्ब दावा में पंजीकृत दस्तावेज एवं हकतर्कनामा को निरस्त करने का अधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत दावा खारिज किया जाता है।

नीज..........–.......... मुबलिंग...........–.............. बाबत....................–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.07.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बरांगना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बरांगना

Scanned by CamScanner